न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमन्द

(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स सं. 119/2012

दायर दिनांक 31.12.2012

निर्णय दिनांकः 03.02.2020

अनवान् मुकदमा

राजस्थान सरकार जरिये, तहसीलदार, राजसमन्द

————**प्रार्थी**

बनाम

श्री पृथ्वीराज पिता भूरालाल ब्राहम्ण निवासी केलवा जिला राजसमंद मृतक वारिस

1— श्री राजकुमार पिता पृथ्वीराज ब्राहम्ण निवासी केलवा तहसील व जिला राजसमन्द

2— श्री विनोद पिता पृथ्वीराज ब्राहम्ण निवासी केलवा तहसील व जिला राजसमन्द

3— धुलीबाई पत्नी पृथ्वीराज ब्राहम्ण निवासी केलवा तहसील व जिला राजसमन्द

4— मीरा पुत्री पृथ्वीराज पत्नी महेश ब्राहम्ण निवासी संतोषी नगर कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द

5— पुष्पा पुत्री पृथ्वीराज पत्नी मनमोहन ब्राहम्ण निवासी मोलेला तहसील खमनोर जिला राजसमन्द

6— लक्ष्मी पुत्री पृथ्वीराज पत्नी हरिश ब्राहम्ण निवासी पालीवाल रेस्टारेन्ट, जगदीश चौक, उदयपुर जिला उदयपुर

————**अप्रार्थीगण**

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थितः

1— श्री कैलाश चन्द्र बोल्या, राजकीय अधिवक्ता।

2— अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, राजसमन्द ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम केलवा तहसील राजसमन्द स्थित भूमि खसरा नम्बर 4824/931 रकबा 0.16 बीघा किस्म बीड ा भूमि अप्रार्थीगण के नाम पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित है। तहसीलदार, राजसमन्द के द्वारा जरिये मिसल नम्बर 149/71 आदेश दिनांकः 20.10.1971 से ग्राम केलवा तहसील राजसमंद स्थित खसरा नम्बर 1508 रकबा 06.16 बीघा किस्म नाला में से 0.19 बीघा बिलानाम भूमि पर श्री पृथ्वीराज पिता भूरालाल ब्राहम्ण का नाजायज कब्जा होने से उक्त भूमि का इनके नाम पर नियमन किया गया जिसे जरिये नामान्तरण

संख्या 101 से उक्त श्री पृथ्वीराज पिता भूरालाल ब्राहम्ण के नाम पर नवीन खसरा नम्बर 4824/931 रकबा 0.16 बीघा के रुप में दर्ज राजस्व रेकार्ड की गयी जो उत्तराधिकार से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम पर अंकित हैं।

भू–प्रबन्ध विभाग के खसरा पत्रक सम्वंत् 2028 के अनुसार उक्त भूमि के गत खसरा नम्बर 1366 मिन रकबा 03.17 व खसरा नम्बर 1509 रकबा 01.07 बीघा किस्म नाला होकर मेवाड़ सेटलमेन्ट की नकल जमाबन्दी सम्वत् 1989 में भी इसका मूल खसरा नम्बर 1366 रकबा 04.05 बीघा किस्म नाला दर्ज रेकार्ड भूमि थी। इस प्रकार अप्रार्थीगण के खाते अंकित भूमि मूलतः मेवाड़ सेटलमेंट के दौरान भी किस्म नाला दर्ज रेकार्ड भूमि थी एवं राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के तहत उक्त भूमि आवंटन/नियमन में प्रतिबन्धित होने से इसमें खातेदारी अधिकार देय नहीं है। D.B.Civil Writ Petition No. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 02.08.2004 के अनुसार भी ऐसी भूमियों के खातेदारी अधिकार निरस्त किये जाने के निर्देश हैं। अतः अप्रार्थीगण के खाते वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित भूमि मूलतः किस्म नाला भूमि होने से अप्रार्थीगण के नाम से निरस्त कर राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकीन किस्म नाला दर्ज करने के आदेश फरमावें।

अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 के तहत को दर्ज कर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जरिये सूचना पत्र तलब किया गया।

राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। राजकीय अधिवक्ता का तर्क है कि ग्राम केलवा तहसील राजसमन्द स्थित भूमि खसरा नम्बर 4824/931 रकबा 0.16 बीघा किस्म बीड ाा भूमि अप्रार्थीगण के नाम पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित है। तहसीलदार, राजसमन्द के द्वारा जरिये मिसल नम्बर 149/71 आदेश दिनांकः 20.10.1971 से ग्राम केलवा तहसील राजसमंद स्थित खसरा नम्बर 1508 रकबा 06.16 बीघा किस्म नाला में से 0.19 बीघा बिलानाम भूमि पर श्री पृथ्वीराज पिता भूरालाल ब्राहम्ण का नाजायज कब्जा होने से उक्त भूमि का इनके नाम पर नियमन किया गया जिसे जरिये नामान्तरण संख्या 101 से उक्त श्री पृथ्वीराज पिता भूरालाल ब्राहम्ण के नाम पर नवीन खसरा नम्बर 4824/931 रकबा 0.16 बीघा के रुप में दर्ज राजस्व रेकार्ड की गयी जो उत्तराधिकार से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम पर अंकित हैं। भू–प्रबन्ध विभाग के खसरा पत्रक सम्वंत् 2028 के अनुसार उक्त भूमि के गत खसरा नम्बर 1366 मिन रकबा 03.17 व खसरा नम्बर 1509 रकबा 01.07 बीघा किस्म नाला होकर मेवाड़ सेटलमेन्ट की नकल जमाबन्दी सम्वत् 1989 में भी इसका मूल खसरा नम्बर 1366 रकबा 04.05 बीघा किस्म नाला दर्ज रेकार्ड भूमि थी। इस प्रकार अप्रार्थीगण के खाते अंकित भूमि मूलतः मेवाड़ सेटलमेंट के दौरान भी किस्म नाला दर्ज रेकार्ड भूमि थी इससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण के खाते वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित भूमि मूलतः किस्म नाला बिलानाम गैर मुमकिन श्रेणी की भूमि है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्ड पीठ ने रिट पिटिशन नम्बर 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय दिनांक 02.08.04 के बिन्दू संख्या 04 में राजस्व स्वामित्व की झील व अन्य जलाशयों अर्थात् राजस्व स्वामित्व के जल प्रवाह एवं जल संग्रहण की खातेदारी भूमि के अर्जन के संबन्ध में निर्देश दिए है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत ऐसी गैर मुमकिन श्रेणी दर्ज झील, तालाब आदि जलाशयों व नदी नाला आदि की भूमियों पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते है। यदि ऐसी भूमियों पर निजी

खातेदारी दर्ज है तो उक्त कार्यवाही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा,88 एवं राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है। अतः धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत ऐसी भूमियों पर दी गयी निजी खातेदारी निरस्त की जानी चाहिए। अतः उक्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम से हटा कर पुनः बिलानाम गैर काबिल काश्त नाला दर्ज करवायी जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल को मामला प्रेषित करने हेतु रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया । भू–प्रबन्ध विभाग के खसरा पत्रक सम्वंत् 2028 के अनुसार उक्त भूमि के गत खसरा नम्बर 1366 मिन रकबा 03.17 व खसरा नम्बर 1509 रकबा 01.07 बीघा किस्म नाला होकर मेवाड़ सेटलमेन्ट की नकल जमाबन्दी सम्वत् 1989 में भी इसका मूल खसरा नम्बर 1366 रकबा 04.05 बीघा किस्म नाला दर्ज रेकार्ड भूमि थी। अप्रार्थीगण के नाम वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 4824/931 रकबा 0.16 बीघा थे। जबकि रेकार्ड से यह प्रमाणित है कि अप्रार्थीगण के खाते वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित भूमि मूलतः किस्म नाला भूमि है, जिस पर गैर खातेदारी/खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अप्रार्थी कानूनन् अधिकारिता नहीं रखती है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्ड पीठ ने रिट पिटिशन नम्बर 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय दिनांक 02.08.04 के बिन्दू संख्या 04 में राजस्व स्वामित्व की झील व अन्य जलाशयों नदी,नाला,नाली आदि के खातेदारी भूमि के अर्जन के संबन्ध में निर्देश दिए है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत ऐसी गैर मुमकिन श्रेणी दर्ज झील, तालाब आदि जलाशयों की भूमियों पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते है। अतः ऐसी प्रतिबन्धित भूमियों पर दर्ज निजी खातेदारी कानूनन् निरस्त किये जाने योग्य है।

:आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर मामला राजस्व मण्डल को रेफरेन्स प्रेषित करने हेतु स्वीकार किया जाता है। ग्राम केलवा तहसील राजसमन्द स्थित भूमि खसरा नम्बर 4824/931 रकबा 0.16 बीघा किस्म बीड ाा अप्रार्थीगण के नाम पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज भूमि को अप्रार्थीगण के नाम से हटाकर पुनः बिलानाम गैर काबिल काश्त किस्म नाला राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने की दुरुस्ती के लिए प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में रेफरेंस हेतु भेजे जाने के लिए एतद्द्वारा आदेश दिये जाते हैं।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांकः 03.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द